

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक  
सेवा में,

118/ *कॉन्स. साभा-य (एन.बी.सी. एस.)*

दिनांक-14/2/2020

मुख्य विकास अधिकारी,  
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4140 दिनांक 12.02.2020  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कचुना है कि Divine Sainik School, Lakhmipur Lohta Varanasi विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच किया गया। निरीक्षणोपरान्त उक्त विद्यालय "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के अनुरूप पाया गया। तत्पश्चात् निर्धारित प्रारूप(चेक लिस्ट) में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की आख्या/टिप्पणी अंकित करते हुये आख्या आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : चेक लिस्ट(मूल में)

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक 118/ *कॉन्स. साभा-य (एन.बी.सी. एस.)*

दिनांक 14/02/2020

प्रतिलिपि Manager, Divine Sainik School, Lakhmipur Lohata Varanasi को  
सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

*A Heekal  
Lohata*



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट


(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-


क्र.सं	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय भिक्साय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में बाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10.	क्या भवन की दीवारों ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	नहीं (एक मंजिला है)
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ


*Aslan*  
Architect, PWD.

*ml*  
अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०दि०  
वाराणसी

19.	क्या भवन के कक्षों से जान की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्लिंग तो नहीं है?	नहीं/हाँ
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
25.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	—
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

  
 अवर अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाराणसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाराणसी।

  
 Anurag PWD

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(11)


(क) प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-5):-


क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारों द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3.	क्या भवन एक मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6.	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है? भवन के सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 1.2 मी० है?	नहीं
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1.500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ

*(Signature)*

अवर आभियन्ता  
पान्तीय खण्ड, लो०मि०वि०  
वाराणसी

19.	क्या भवन के कक्षा से जाने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्क सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्लिंग तो नहीं है?	नहीं/हाँ
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
25.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	—
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	<i>Jeher</i>
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इन्वियमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

  
 अवर अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
 वाराणसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
 वाराणसी।

